**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2584**

**19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

 **कोर्ट मार्शल में अभियोजित सैन्य कर्मी**

**2584. श्री हुसैन दलवई :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से कोर्ट मार्शल तथा अन्य आंतरिक अनुशासनिक समितियों द्वारा अभियोजित सैन्य कर्मियों की संख्या तथा जिन अपराधों के लिए उन्हें अभियोजित किया गया, उन अपराधों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में कोर्ट मार्शल तथा अन्य आंतरिक अनुशासनिक समितियों द्वारा जिन मामलों में सैन्य कर्मियों को अभियोजित किया गया तथा उक्त को सैन्य बल अधिकरण में चुनौती दी गई, ऐसे मामलों की संख्या का और सैन्य बल अधिकरण में उन मामलों की स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2015, 2016 और 2017 के दौरान सेना अधिनियम, 1950 के अंतर्गत परिभाषित विभिन्न अपराधों हेतु अन्य आंतरिक अनुशासनिक कार्रवाईयों अथवा कोर्ट मार्शल में अभियोजित सेना कार्मिकों की संख्या क्रमशः 47, 54 और 51 है ।

(ख) सेना कार्मिकों द्वारा उपरोक्त (क) पर उल्लिखित मामलों और उससे पहले की अवधि से संबंधित मामलों के बारे में भी वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी) में चुनौती दिए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार हैः-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **दायर किए गए मामलों की संख्या** | **निपटाए गए मामलों की संख्या** |
| 2015 | 174 | 168 |
| 2016 | 202 | 157 |
| 2017 | 244 | 183 |

\*\*\*\*\*